भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2248

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

राशन की दुकानों के आबंटन में आरक्षण

2248. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राशन की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटे को पूरा करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राशन दुकानदारों को किसी मानदेय का भुगतान किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राशन की दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), **2013** के तहत शासित होती है और इसे केंद्र एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण, उचित दर दुकान डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) का पर्यवेक्षण और उनके कामकाज की निगरानी आदि जैसी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 (4) में प्रावधान है कि राज्य सरकार पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों जैसे सार्वजनिक संस्थानों या सार्वजनिक निकायों को उचित दर दुकानों के लाइसेंस देने में और महिलाओं या उनके समूहों द्वारा उचित दर दुकानों के प्रबंधन को वरीयता देगी।

...2/-

उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की भूमिका सीमित है। केंद्र सरकार केवल खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंड और केंद्रीय हिस्सेदारी की पद्धति भी शामिल है, के प्रावधानों के अनुसार, एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग तथा उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को अप्रैल, 2022 से निम्नालिखित विवरण के अनुसार बढ़ाया गया है:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी	एफपीएस डीलरों के मार्जिन का घटक	पूर्व- संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल)	संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल)	केंद्रीय हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
सामान्य श्रेणी	मूल मार्जिन	70	90	50
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21	
विशेष श्रेणी	मूल मार्जिन	143	180	75
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26	

टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 (7) में राज्य सरकार को उचित दर दुकान मालिक के मार्जिन के रूप में एक धनराशि निर्धारित करने की अनुमति दी गई है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि उचित दर दुकान प्रचालनों की सतत व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा, राज्य सरकारें वास्तविक दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता नियमों में विनिर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(घ): केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों की खरीद से लेकर उसके वितरण तक गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका तैयार करके जारी की है। पीडीएस के लिए खरीदे और संग्रहीत किए गए खाद्यान्नों के संबंध में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। समिति ऐसे मामलों पर समन्वय करेगी और बैठक के दौरान उठाए गए गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करेगी।

*****